न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 38 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

बनाम 1.मालमसिंह पुत्र हरलालसिंह जाति राजपूत निवासी सांगाणा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 12/2010 बअनवान मालमसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.05.2016 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 21.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम सांगाणा के वर्तमान खसरा नम्बर 219 रकबा 77 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया है जबकि यह भूमि सेटलमेंट में भी सरकारी भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियों प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है न ही कोई अभिलेखीय कब्जा साबित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 16.05.2016 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। राजकीय अभिभाषक की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने व प्रार्थी कर अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी के पिता हरलालसिंह के नाम की समरी में दर्ज खातेदारी भूमि ग्राम सांगाणा के वर्तमान खसरा संख्या 106, 107, 108 की भूमि में भी अलग–अलग काश्तकारों को खातेदारी पूर्व में ही घोषित किया जा चुका है। इनमें से एक खसरा संख्या 108 के संबंध हुए निर्णय का सारांश यां देना समीचीन होगा जो वक्त सेटलमेंट हरलालसिंह की भूमि के अन्य खसरों से संबंधित टिप्पणी हुई थी। दावेदार **"शैतानसिंह ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि हरलाल का इस खेत पर कोई हक नहीं है बल्कि उनके कब्जे काश्त में है जो हरलालसिंह जी स्वीकार करता है और स्पष्ट रिपॉर्ट हुई कि "इस खेत को शैतानसिंह वल्द हीमतींग राजपूत साकिन देह खातेदारी में दर्ज किया।"** इस प्रकार वादी के पिता स्वयं ने स्वीकार किया गया है। वादी के पिता को वक्त वर्तमान सेटलमेंट **सीलिंग एक्ट में अधिकतम धारित सीमा तक भूमि खातेदारी में इन्द्राज कर दी गयी। सीमरी की एंट्री को लेकर वादी को दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है। उसे अपने हिस्से में सीलिंग सीमा में धारण योग्य अधिकतम रकबे**

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तक जमीन खातेदारी में प्राप्त हो चुकी है। दावाकृत खसरा संख्या 219 पर वक्त सेटलमेंट से निरंतर कब्जा काश्त होने का कोई भी अभिलेखीय सबूत वादी की ओर से रिकॉर्ड पर नहीं है। कब्जे के अभाव में वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी दिया जाना संभव नहीं है। इस दृष्टि से अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध है। वादी का दावा आधारहीन तथ्यों से परे एवं कपोल कल्पित है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में वादी का दावा खारिज योग्य ठहरता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 12/2010 बअनवान मालमसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.05.2016 को अपास्त किया जाता है।

21/8/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner